झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आपराधिक अपील (खांडपीठ) संख्या 358/2023

कुंवर गंझू, उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता रामबरथ गंझू

... याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ राष्ट्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से

... प्रत्यर्थी

कोरम : माननीय न्यायधीश श्री सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय न्यायधीश श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

याचिकाकर्ता के लिएः श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री शशांक सेखर प्रसाद, अधिवक्ता

एनआईए के लिए: श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता

10 दिनांक **15.01.2024**

माननीय न्यायधीश श्री सुजीत नारायण प्रसाद

1. इस अपील को राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(4) के तहत प्रस्तुत किया गया है, जो 13.02.2023 को एजेसी-XVI-सह-विशेष जज, एनआईए, रांची द्वारा पारित आदेश के खिलाफ है, जो कि विविध आपराधिक आवेदन संख्या 183 of 2023 [विशेष (एनआईए) मामला संख्या 03/2020] से संबंधित है, जो आर.सी. संख्या 38/2021/एनआईए/डीएलआइ के तहत चांदवा थाना मामले संख्या 04/2020 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें आईपीसी की धारा 386, 411 और 120B ,सी.एल.ए. अधिनियम की धारा 17 और अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम की धाराएँ 13, 16, 17, 20, 21 और 23 के तहत अपराध के लिए पंजीकृत किया गया है। जिसके तहत आवेदक की नियमित जमानत के लिए प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया गया है।

तथ्य

2. इस आपराधिक अपील के लिए अभियोजन के मामले के संक्षिप्त रूप से यह है कि 05.01.2020 को चांदवा थाना के एक निरीक्षक सह एसएचओ को एक विश्वसनीय सूचना मिली थी कि तीन व्यक्ति एक ठेकेदार से लेवी एकत्र करने के बाद चांदवा के बुढबाजार में एक मोटरसाइकिल JH 01 CW773 पर आए और माओवादी रवींद्र गंझू (ए-4) को राशि सुपुर्द करने के लिए आगे बढ़ रहे थे।

3. उक्त सूचना प्राप्त होने पर, एसएचओ ने अपने स्टाफ के साथ शिव मंदिर, बुढबाजार के पास पहुंचकर देखा कि 03 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल JH-01-CW773 पर स्टेडियम की ओर जा रहे हैं। आरोप है कि पुलिस दल को देखकर, तीनों व्यक्तियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया और पूछताछ में, व्यक्तियों ने अपने नाम राजेश कुमार गंझू (ए -2), बैजनाथ गंझू (ए -1) और कुंवर गंझू (ए -3) (यहाँ अपीलकर्ता) बताया।

4. यह आरोप लगाया गया है कि जब दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त व्यक्तियों की तलाशी ली गई, जिसमें ₹05 (पाँच) लाख की नकद राशि, एक जोड़ी नए कपड़े, माओवादी रवींद्र गंझू (ए -4) द्वारा सोनू सिंह (ए -5) के नाम लिखा गया एक पत्र और अन्य दस्तावेज़ आदि उनके पास से बरामद किए गए।

5. यह आगे कहा गया है कि प्रारंभिक जांच के दौरान, इन व्यक्तियों ने खुलासा किया कि रवींद्र गंझू (ए-4) ने उन्हें बीरजंघा जंगल में मिलने के लिए बुलाया, एक पत्र दिया जिसमें ठेकेदार सोनू सिंह (ए-5) को देने का निर्देश था और सोनू सिंह (ए-5) से ₹5 लाख की राशि एकत्र करने के लिए कहा।

6. तदनुसार वे सोनू सिंह के घर गए, माओवादी रवींद्र गंझू (ए-4) के पत्र को प्रस्तुत करके सोनू सिंह (ए-5) से ₹5 लाख की नकद राशि एकत्र की और जंगल में माओवादी रवींद्र गंझू (ए-4) को नकद राशि सुपुर्द की। उन्होंने स्वीकार किया कि वे आतंकवादी संगठन सीपीआइ (माओवादी) के संदेशवाहक हैं और लेवी एकत्र करने तथा पुलिस की जानकारी माओवादी कैडरों को देने में शामिल हैं।

7. इसलिए, एक मामला एफआइआर संख्या 04/2020 दिनांक 05.01.2020 को चांदवा थाना, जिला लातेहार, झारखंड में भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 386, 411, 120B, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम (सीएलए अधिनियम) की धारा 17 और अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम (यूए (पी) अधिनियम) की धाराएँ 13, 16, 17, 20, 21 और 23 के तहत राजेश कुमार गंझू (ए-2), बैजनाथ गंझू (ए-1), कुंवर गंझू (ए-3), रवींद्र गंझू (ए-4) और सोनू सिंह (ए-5) के खिलाफ दर्ज किया गया।

8. जांच के बाद, झारखंड राज्य पुलिस ने 02.07.2020 को अंतिम रिपोर्ट संख्या 59/2020 के तहत IPC की धाराएँ 386, 411 और 120B, सीएलए अधिनियम की धारा 17 और यूए (पी) अधिनियम की धाराएँ 13, 16, 17, 20, 21 और 23 के तहत 03 गिरफ्तार आरोपियों (i) राजेश गंझू (ए-2), (ii) बैजनाथ गंझू (ए-1) और (iii) कुंवर गंझू (ए-3) के खिलाफ चार्जशीट दायर की गयी। अपराध की संज्ञानता 16.07.2020 को ली गई। राज्य पुलिस ने अन्य फरार अभियुक्तों के खिलाफ मामले की आगे की जांच जारी रखी।

9. बाद में, केंद्रीय सरकार को चांदवा थाना, जिला लातेहार, झारखंड में एफआइआर संख्या 04/2020 दिनांक 05.01.2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 386, 411, 120-B, सीएल(ए) अधिनियम की धारा 17 और यूए (पी)अधिनियम 1967 के तहत 03 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई, जिनके नाम राजेश कुमार गंझू (ए-2), बैजनाथ गंझू (ए-1) और यहाँ अपीलकर्ता कुंवर गंझू (ए-3) हैं, और उनके पास से ₹5 लाख की नकद राशि बरामद की गई।

10. अपराध की गंभीरता को देखते हुए, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने आदेश एफ संख्या 11011/66/2020/एनआईए दिनांक 29.10.2020 के माध्यम से एनआईए को उपरोक्त मामले की जांच करने का निर्देश दिया।

11. भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, एनआईए, नई दिल्ली थाना ने चांदवा थाना, जिला लातेहार, झारखंड मामला एफआइआर संख्या 04/2020 दिनांक 05.01.2020 को आर.सी. संख्या 38/2021/एनआईए/डीएलआइ दिनांक 03.11.2020 के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 386, 411 और 120B, सीएल(ए) अधिनियम की धारा 17 और यूए (पी) अधिनियम की धाराएँ 13, 16, 17, 20, 21 और 23 के तहत उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ पुनः पंजीकृत किया और जांच शुरू की।

12. जांच की प्रक्रिया के दौरान, अपीलकर्ता/आरोपी कुंवर गंझू (ए-3) और उसके सहयोगी सह-आरोपी बैजनाथ गंझू (ए-1) और राजेश गंझू (ए-2) ने एनआईए विशेष न्यायालय, रांची के समक्ष धारा 167 के तहत जमानत याचिका दायर की, लेकिन इसे 19.07.2021 को अस्वीकृत कर दिया गया।

13. उपरोक्त जमानत खारिज करने के आदेश दिनांक 19.07.2021 से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता कुंवर गंझू (ए-3) और उसके सहयोगी ने इस न्यायालय में क्रिमिनल अपील (खंड पीठ) संख्या 181 of 2021 दायर की, लेकिन इसे इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2022 को अस्वीकृत कर दिया गया।

14. परिणामस्वरूप, उपरोक्त नामित अपीलकर्ता ने एनआईए विशेष न्यायालय, रांची के समक्ष विविध आपराधिक आवेदन संख्या 183 of 2023 के माध्यम से नियमित जमानत आवेदन दायर किया, लेकिन इसे दिनांक 13.02.2023 के आदेश द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, जिसके खिलाफ वर्तमान अपील दायर की गई है।

<u>अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण</u>

15. अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता ने विवादित आदेश को निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी है-

(i) एनआईए ने अपनी जांच के माध्यम से यह स्थापित नहीं किया है कि अपीलकर्ता द्वारा कौन सा आतंकवादी कृत्य किया गया था और इसलिए अवैध गतिविधियों (निवारण) अधिनियम के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता।

(ii) निचली न्यायालय ने यह नहीं समझा और विचार नहीं किया कि अपीलकर्ता को किसी आतंकवादी संगठन का सदस्य नहीं पाया गया है, न ही उसने नक्सल संगठन के किसी निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी प्रकार से भाग लिया है, इसलिए अपीलकर्ता को अधिनियम 1967 के दायरे में नहीं लाया जा सकता।

(iii) वाहन से किसी भी नक्सल पर्चा या किसी तरह के कागज की कोई हार्ड कॉपी बरामद नहीं की गई है, जो स्पष्ट रूप से सुझाव देता है कि अपीलकर्ता प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में आरोपित किसी अपराध को करने जा रहा था।

(iv) अपीलार्थी के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई है और वह मोटरसाइकिल पर केवल पीछे बैठा हुआ था।

(v) अपीलार्थी को तत्काल मामले में केवल उसके अपने इकबालिया बयानों के आधार पर अभियुक्त के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो पुलिस के समक्ष दिए गए थे, हालाँकि, उक्त कबूलनामे का कानून की नज़र में कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है।

(vi) अपीलार्थी 06.01. 2020 से हिरासत में है यानि तीन साल से अधिक समय से और अभी भी जाँच चल रही है और निकट भविष्य में मुकदमे को समाप्त करने की कोई संभावना नहीं है।

(vii) भारत संघ बनाम के. ए. नजीब **(2021) 3** एस. सी. सी. **713** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार बताया कि व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सर्वोच्च महत्व है। तत्काल मामले में, मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है, इसलिए, अभिरक्षा की अवधि को ध्यान में रखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है जहां अपीलार्थी न्यायिक अभिरक्षा से रिहा होने का हकदार है।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने, उपरोक्त आधार पर, प्रस्तुत किया है कि विद्वत विचारण न्यायालय को नियमित जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय मामले के उस पहलू पर विचार करना चाहिए था, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया है, इसलिए, विवादित आदेशों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

एनआईए के लिए अधिवक्ता का प्रस्तुतिकरण

17. जबकि, दूसरी ओर, एन.आई.ए. की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित आधारों पर विवादित आदेशों का बचाव किया हैः

(i) अपीलार्थी, अर्थात् कुंवर गंझू, एफ़.आई.आर. में नामित अभियुक्त है और सी.पी.आई. माओवादी संगठन (एक प्रतिबंधित संगठन) के संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है।
(ii) जब अपीलार्थी को उसके सहयोगियों के साथ मौके से पकड़ा गया तो उसके पास से पांच लाख नकद और सोनू सिंह (ए-5) को संबोधित माओवादी रवींद्र गंझू (ए-4) का एक पत्र और अन्य सामान/दस्तावेज आदि बरामद किए गए।
(iii) अपीलार्थी ने आरोप-पत्र में निर्दिष्ट कथित अपराध करने में दोषस्वीकृति दी है और तत्काल मामले में, अपीलार्थी का इकबालिया बयान उसके पास से बरामद की गई आपत्तिजनक वस्तुओं के अनुरूप था, इसलिए अपीलार्थी/अभियुक्त के ऐसे इकबालिया बयानों का कानून की नजर में सभी प्रमाणिक मूल्य है।
(iv) अपीलकर्ता अपने भाई रवींद्र गंझू ए-4, जो सी.पी.आई. माओवादी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का एक शीर्ष कैडर है, के नाम पर ठेकेदारों से जबरन वसूली प्राप्त करने में सक्रिय रूप से शामिल है।
(v) अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय का अनुपात, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के. ए. नजीब (उपरोक्त) मामले में दिया गया है, वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, इसका कारण यह है कि उपरोक्त मामले में आरोपी के पास कोई आपराधिक पूर्ववृत्ति नहीं थी और उस मामले में अपराध की प्रकृति और पृष्ठभूमि भिन्न थी, लेकिन वर्तमान मामले में यह रिकॉर्ड पर आया है कि अपीलकर्ता का प्रतिबंधित संगठन के साथ प्रत्यक्ष संबंध है और उसके खिलाफ कुल दो आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से एक यूए (पी)अधिनियम की धारा 10/13 से संबंधित है और दूसरा सीएलए अधिनियम की धारा 17(i)(ii) से संबंधित है।

18. एन.आई.ए. के लिए उपस्थित अधिवक्ता ने, इसलिए, उपरोक्त आधार पर यह प्रस्तुत किया है कि विवादित आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

विश्लेषण

19. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और विवादित आदेशों में विद्वान न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के साथ-साथ आरोप पत्र पर भी विचार किया है।

20. यह न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ने से पहले कि क्या अपीलकर्ता जमानत पर रिहाई के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाने में सक्षम रहा है, कानून के कुछ तय किए गए प्रस्ताव और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (जिसे इसके बाद अधिनियम, 1967 के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रासंगिक प्रावधानों पर चर्चा करना उचित और उचित समझता है, जिस पर यहां विचार किया जाना आवश्यक है।

21. अधिनियम, 1967 का मुख्य उद्देश्य भारत की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ निर्देशित गतिविधियों से निपटने के लिए शक्तियाँ उपलब्ध कराना है। प्रस्तावना के अनुसार, अधिनियम, 1967 को व्यक्तियों और संघों की कुछ अवैध गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने तथा इससे संबंधित मामलों के लिए लागू किया गया है। इसलिए, यूए(पी) अधिनियम के निर्माण का उद्देश्य भी कुछ अवैध गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम प्रदान करना है।

22. किसी अवैध गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के

लिए, संसद ने अपनी विवेकाधीनता में यह प्रावधान किया है कि जहाँ एक संघ को धारा 3 के तहत जारी किए गए अधिसूचना द्वारा अवैध घोषित किया जाता है, वहाँ ऐसा व्यक्ति, जो उस संघ का सदस्य है और बना रहता है, को 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, और उसे जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

23. अधिनियम 1967 की धारा 2 के उपधारा (एम) में "आतंकवादी संगठन" की परिभाषा दी गई है। इसे पहली अनुसूची में सूचीबद्ध एक संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। सीपीआइ (माओवादी) को पहले अनुसूची में आइटम संख्या 34 पर सूचीबद्ध किया गया है।1967 अधिनियम के अध्याय III से आगे विभिन्न अपराधों को शामिल किया गया है। अध्याय IV का शीर्षक "आतंकवादी कृत्य के लिए दंड" है। धारा 2 के उपधारा (के) में बताया गया है कि "आतंकवादी कृत्य" का अर्थ धारा 15 के तहत निर्धारित किया गया है और आतंकवादी कृत्य में एक ऐसा कार्य शामिल है जो किसी भी दूसरे अनुसूची में निर्दिष्ट संधियों के दायरे में आता है और जिसे परिभाषित किया गया है।

24. अधिनियम, 1967 की धारा 10(a)(i) में यह प्रावधान किया गया है कि जहाँ एक संघ को धारा 3 के तहत जारी किए गए अधिसूचना द्वारा अवैध घोषित किया जाता है, जो कि उस धारा के उपधारा)3) के तहत प्रभावी हो गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति, जो उस संघ का सदस्य है या बना रहता है, को 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, और उसे जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। इसलिए, जब तक धारा 10(a)(i) लागू है, तब तक ऐसा व्यक्ति, जो उस संघ का सदस्य है या बना रहता है, दंडित होने के लिए उत्तरदायी होगा।

25. अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अधिदेश के अनुसार जो कोई भी गैरकानूनी गतिविधि में भाग लेता है या करता है, या वकालत करता है, बढ़ावा देता है, सलाह देता है या उकसाता है, वह सात साल तक की अवधि के कारावास से दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

26. इस समय, अधिनियम, 1967 की धारा 43डी 5) के मुख्य बिंदु पर चर्चा करना उद्देश्यपूर्ण होगा, जो यह अनिवार्य करता है कि यदि न्यायालय को यह विश्वास करने के लिए उचित कारण हैं कि लगाए गए आरोप प्रथम दृष्ट्या सत्य हैं, तो व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, अपीलकर्ता पर यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धाराओं 17, 18 और 21 के तहत अपराध करने का आरोप भी है।

27. अधिनियम की धारा 43D (5) के प्रावधान का संदर्भ देने का कारण यह है कि जांच के दौरान, जांच एजेंसी ने अपीलकर्ता के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत यूए (पी) अधिनियम के अपराध को आकर्षित करने वाले का पता लगाया है। चूंकि, यह न्यायालय अब यू.ए (पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भी जमानत के मुद्दे पर विचार कर रहा है और इसलिए, अधिनियम की धारा 43डी (5) के प्रावधान के तहत रखे गए मापदंड पर भी विचार करने की आवश्यकता है।

28. यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 43D(5) के तहत नियमित जमानत प्रदान करने के मामले में निर्धारित आवश्यकता पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने [(2019) 5 SCC 1] में रिपोर्ट नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वतली मामले में विचार किया, जिसमें, पैराग्राफ 23 में, अधिनियम, 1967 की धारा 43डी (5) के तहत निर्धारित "प्रथम दृष्टया सत्य" अभिव्यक्ति की व्याख्या करके यह अभिनिर्धारित किया गया है, जिसका अर्थ होगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में संबंधित अभियुक्त के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जाँच एजेंसी द्वारा एकत्र की गई सामग्री/साक्ष्य, तब तक प्रबल होना चाहिए जब तक कि अन्य साक्ष्य द्वारा इसका खंडन नहीं किया जाता है और इसे दूर नहीं किया जाता है या इसे गलत साबित नहीं किया जाता है, और इसके बावजूद, उक्त अपराध को करने में ऐसे अभियुक्त की संलिप्तता

दिखाई देती है।यह आगे देखा गया है कि किसी दिए गए तथ्य या कथित अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए यह अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए, जब तक कि इसका खंडन या प्रतिवाद न किया जाए। जब न्यायालय को यह राय देनी होती है कि आरोप "प्राइम फेसी सच" है, तो संतुष्टि की डिग्री अन्य विशेष अधिनियमों के तहत आवश्यक "दोषमुक्त" की राय की तुलना में हल्की होती है। तत्परता से संदर्भ के लिए, उपरोक्त फैसले के अनुच्छेद 23 को यहाँ उद्धृत करना आवश्यक है जो इस प्रकार है:-

> *"23. उप-धारा (5) के परन्तुक के आधार पर, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह संतुष्ट हो कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य या अन्यथा है। हमारा ध्यान इस न्यायालय के फैसलों की ओर आकर्षित किया गया था, जिसे टाडा और मकोका में इसी तरह के विशेष प्रावधानों से निपटने का अवसर मिला है| 1967 के अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में जमानत के अनुरोध पर विचार करते समय उन निर्णयों में अंतर्निहित सिद्धांत का कुछ असर हो सकता है। विशेष रूप से, टाडा, मकोका और नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 जैसे विशेष कानूनों के तहत, न्यायालय को अपनी राय दर्ज करने की आवश्यकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी कथित अपराध का "दोषी नहीं है"। न्यायालय द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि के बीच कुछ हद तक अंतर है कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त ऐसे अपराध का "दोषी नहीं है" और 1967 के अधिनियम के उद्देश्यों के लिए दर्ज की जाने वाली संतुष्टि के बीच कि यह विश्वास करने के लिए उचित 11 आधार हैं कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोप "प्रथम दृष्टया" सच है। "प्रथम दृष्टया सत्य" अभिव्यक्ति की अपनी प्रकृति से ही यह अर्थ लगाया जाएगा कि प्राथमिक सूचना रिपोर्ट में आरोपित आरोपी के खिलाफ आरोप के संदर्भ में जाँच एजेंसी द्वारा संकलित सामग्री/साक्ष्य,तब तक प्रभावी होना चाहिए जब तक कि उसका खंडन या प्रतिवाद नहीं किया जाता,और उन पर काबू नहीं पाया जाता है या उन्हें गलत साबित नहीं किया जाता है, और मुख्य रूप से, ऐसे आरोपी की आरोपित अपराध के आरोप में संलिप्तता को दर्शाता है। यह एक दिए गए तथ्य या आरोपित अपराध के तथ्यों की श्रृंखला को स्थापित करने के लिए अपने आप में अच्छा और पर्याप्त होना चाहिए, जब तक कि इसका खंडन या प्रतिवाद नहीं किया जाता। एक अर्थ में, जब न्यायालय को यह राय देनी होती है कि आरोप " प्रथम दृष्टया सत्य"" है, तो संतुष्टि की डिग्री अन्य विशेष अधिनियमों के तहत आवश्यक की राय की "दोषमुक्त" तुलना में हल्की होती है। किसी भी मामले में, अभियुक्त के खिलाफ आरोप को प्राइम फेसी सच मानने के लिए न्यायालय द्वारा दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री, 1967 के अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित आरोप हटाने के आवेदन या आरोप तय करने पर दर्ज की जाने वाली संतुष्टि की डिग्री की तुलना में हल्की होती है।*

29. इससे स्पष्ट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी बनाम जहूर अहमद शाह वतली मामले में स्थापित सिद्धांत के अनुसार, यह न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह अभिलेख पर मौजूद सभी सामग्री का अवलोकन करे ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि क्या आरोपी के खिलाफ प्राइम फेसी मामला स्थापित होता है या नहीं।

30. इसके अलावा, यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जमानत देने या न देने के चरण में, न्यायालय से केवल यह अपेक्षित है कि वह आरोपी की उक्त अपराध में संलिप्तता के संबंध में व्यापक संभावनाओं के आधार पर एक निष्कर्ष दर्ज करे और इस चरण में साक्ष्य की विस्तृत जांच या विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं होती। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **(2005) 5** एससीसी **294** में रिपोर्ट रंजीतसिंह ब्रह्मजीतसिंह शर्मा बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख किया जा सकता है। त्वरित सन्दर्भ के लिए, उपरोक्त निर्णय का निम्नलिखित अनुच्छेद यहाँ उद्धृत किया जा रहा है:

> *"**46.** इस स्तर पर न्यायालय का कर्तव्य साक्ष्य को सावधानीपूर्वक तौलना नहीं है, बल्कि व्यापक संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचना है। हालाँकि, मकोका जैसे विशेष क़ानून पर विचार करते समय,अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए , न्यायालय को मामले की गहराई से जाँच करनी पड़ सकती है ताकि वह इस निष्कर्ष पर पहुँच सके कि जाँच के दौरान अभियुक्त के खिलाफ एकत्र की गई सामग्री दोषसिद्धि के निर्णय को उचित नहीं ठहरा सकती है। जमानत देते या अस्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष निस्संदेह अस्थायी प्रकृति के होंगे, जिनका मामले की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है और इस प्रकार, निचली न्यायालय किसी भी तरह से पूर्वाग्रह के बिना मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर मामले का फैसला करने के लिए स्वतंत्र होगी।*

31. इसके अलावा, यह न्यायालय की जिम्मेदारी है कि वह अपनी राय दर्ज करे कि संबंधित आरोपी के खिलाफ लगाया गया आरोप प्राइम फेसी सच है या नहीं, और ऐसी राय तक न्यायालय को न केवल एफआईआर में आरोप के संदर्भ में, बल्कि आरोपपत्र की सामग्री और जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान एकत्रित अन्य सामग्री के संदर्भ में भी पहुंचना चाहिए।

32. यह न्यायालय, उपरोक्त कानून की स्थिति और तथ्यों के आधार पर, जो अपीलकर्ता के खिलाफ एकत्रित किए गए हैं, यह जांचने की प्रक्रिया में है कि क्या अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप प्राइम फेसी सच है, जबकि आरोपी की की राय को ध्यान "दोषमुक्त"में रखते हुए जांच के दौरान एकत्रित सामग्री पर विचार किया जा रहा है।

33. इस न्यायालय ने एन. आई. ए. के विद्वान अधिवक्ता को जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जैसा कि दिनांकित 31.08.2023 के आदेश से प्रतीत होता है और इसके अनुसरण में, जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

34. यह स्पष्ट है कि जांच के दौरान एकत्रित सामग्री के आधार पर और आरोपपत्र में, अपीलकर्ता इस मामले का नामजद आरोपी है और प्राथमिकी से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता अपने सहयोगियों के साथ घटना स्थल से पकड़ा गया था। इसके बाद, स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में, सभी पकड़े गए आरोपियों की एक-एक करके तलाशी ली गई। बैजनाथ गंझू की तलाशी के दौरान, 500 के नोटों के दस बंडल, प्रत्येक बंडल में 100 नोट, कुल 1000/- नोट मूल्य ₹5 लाख नकद बरामद किया गया और शर्ट की पीछे से नक्सली रविंद्र गंझू (ए-4) द्वारा सोनू सिंह को संबोधित एक हस्तलिखित पत्र मिला, जिसमें ₹5 लाख की मांग लेवी राशि के रूप में की गई थी।

35. रविंद्र गंझू (ए-4) द्वारा सोनू सिंह (ए-5) को भेजे गए पत्र और ₹5 लाख नकद की बरामदगी के बाद, तीनों व्यक्तियों ने उचित स्पष्टीकरण देने में असफलता दिखाई, बल्कि उन्होंने यह खुलासा किया कि वे सीपीआइ (एम) कमांडर रविंद्र गंझू (ए-4) के निकट सहयोगी हैं और रविंद्र गंझू के निर्देश पर वे अन्य लोगों को सामग्री प्रदान करने, पत्र भेजने और पुलिस की

गतिविधियों के बारे में रविंद्र गंझू को सूचित करते थे।

36. वर्तमान अपीलकर्ता ने अपने दोष को कबूल किया और स्वीकार किया कि वह रविंद्र गंझू)ए-4) का भाई है, जिन्होंने उन्हें बुलाया और पत्र सौंपा और कहा कि सोनू सिंह)ए-5) को पत्र सौंप दें। उन्होंने यह भी बताया कि सोनू सिंह पत्र लेने के बाद ₹5 लाख देंगे और वे सब पैसा लेकर बिरजंगा जंगल आएंगे और उसे सौंप देंगे। तदनुसार, वे चंदवा में रविंद्र गंझू के निर्देश के अनुसार सोनू सिंह के पास गए। तदनुसार, उन्होंने पत्र सोनू सिंह को सौंप दिया, जिन्होंने तुरंत उन्हें ₹5 लाख दिए और पत्र भी वापस कर दिया। वे पैसा रविंद्र गंझू को सौंपने जा रहे थे, इसी बीच उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

37. अपीलकर्ता कुंवर गंझू)ए -3) ने अपनी स्वैच्छिक प्रकटीकरण में, जो 18.1.2021 को दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में दर्ज किया गया, स्वीकार किया कि उसने 2013-2014 में कुंडो गांव, कुडू पंचायत में ₹2, 50,000/- की राशि में दस डिसमल भूमि खरीदी और ₹2, 50,000/- में से उसके भाई रविंद्र गंझू)ए-4) ने ₹50,000/- की व्यवस्था की, जो एक ठेकेदार से लेवी के रूप में एकत्रित किए गए थे।

38. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता/आरोपी ने अपने भाई रविंद्र गंझू (ए-4), जो सीपीआइ माओवादी का एक शीर्ष कैडर है, का नाम लेते हुए एक ठेकेदार को काम दिलाने के लिए धमकी दी, और उसे उक्त काम से ₹2 से ₹2.50 लाख का लाभ मिला।

39. यह भी पाया गया है कि अपीलकर्ता ने अपनी प्रकटीकरण बयान में बताया कि वह अपने भाई रविंद्र गंझू (ए-4) से जंगल में पत्र प्राप्त करने के बाद मिलता था। 20/11/2019 को, अपीलकर्ता ने आरोपी बैजनाथ गंझू (ए-1) और सुनील गंझू के साथ मिलकर आरोपी रविंद्र गंझू से मुलाकात की और ललिता देवी की जमानत के मामले पर चर्चा की। उनकी उपस्थिति में आरोपी रविंद्र गंझू (ए-4) ने एक व्यक्ति से मृत्युंजय कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह (ए-5) के बारे में पूछा और उस व्यक्ति को एक पत्र दिया, जिसमें उसे मृत्युंजय कुमार सिंह को सौंपने का निर्देश दिया गया।

40. यह अभियोजन पक्ष के बयान से स्पष्ट है कि सभी 03 आरोपियों को पुलिस द्वारा रोका गया था और बाद में ₹5 लाख की नकदी और सीपीआइ (माओवादी) कैडर रविंद्र गंझू (ए-4) द्वारा सोनू सिंह (ए-5) को संबोधित एक पत्र के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि, अपीलकर्ता/आरोपी कुंवर गंझू (ए-3) और उसके सहयोगियों को अपराध के बारे में पूरी जानकारी थी और उन्होंने संयुक्त रूप से अपराध किया था।

41. जांच के दौरान, यह सामने आया है कि मोबाइल संख्या 6200870200 का उपयोग आरोपी कुंवर गंझू (ए-3) द्वारा उसकी गिरफ्तारी तक किया जा रहा था और उक्त मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) विश्लेषण से पता चला कि वह सह-आरोपी व्यक्तियों, नामतः, बैजनाथ गंझू ए-1), राजेश गंझू (ए-2) के साथ लगातार संपर्क में था और आरोपी कुंवर गंझू (ए-3) का संपर्क नंबर आरोपी बैजनाथ गंझू (ए-1) के मोबाइल फोन की सेव की गई संपर्क सूची में पाया गया, जिसे इस मामले में जब्त किया गया था।

42. जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ है कि अपीलकर्ता/आरोपी कुंवर गंझू (ए-3) सीपीआइ(माओवादी), जो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है, का एक ओवर-ग्राउंड कार्यकर्ता/संदेशवाहक है और वह लेवी संग्रह, ठेकेदारों से विभिन्न राशियों की वसूली में सक्रिय रूप से शामिल है, अपने भाई रविंद्र गंझू (ए-4) के नाम पर, जो प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन सीपीआइ(माओवादी) का एक शीर्ष कैडर है और हत्या, हत्या के प्रयास, वसूली, डकैती आदि के कई आतंकवादी संबंधित मामलों में आरोपी है।

43. इस प्रकार, रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता/आरोपी कुंवर गंझू (ए-3) को यह

स्पष्ट रूप से ज्ञात था कि सीपीआइ (माओवादी) एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन है और राज्य भर में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है। ऐसे ज्ञान के बावजूद, उसने इस आतंकवादी संगठन की सहायता करना जारी रखा और उसने कानूनों का स्पष्ट उल्लंघन किया, जिससे नागरिकों और राज्य की सुरक्षा को बाधित किया।

44. रिकॉर्ड में यह आया है कि अपीलकर्ता/आरोपी कुंवर गंझू (ए-3) दो और आपराधिक मामलों में भी आरोपी है, जो कि वसूली और एक लोक कर्मचारी को चोट पहुंचाने या धमकी देने के संबंध में हैं, जो थाना चंदवा, जिला-लातेहार, झारखंड में एफआइआर संख्या 140/18 दिनांक 04.11.2018 के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 147, 148, 149, 341, 342, 386, 487, 427, 435, 436 और यूए (पी) अधिनियम की धाराओं 10, 13 तथा सीएलए अधिनियम की धाराओं 17 (i) और 17 (ii) के तहत दर्ज किए गए हैं और एफआइआर संख्या 34/19 दिनांक 06.04.2019 के तहत भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 323, 353, 34 के तहत दर्ज है|

45. अपीलार्थी द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों की जांच के दौरान गवाहों के बयानों के माध्यम से विधिवत पुष्टि की गई थी और इस प्रकार, प्रथम दृष्टया अभियुक्त/याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप सही प्रतीत होते हैं।

46. इस प्रकार, विभिन्न अनुप्रयोगों और आरोपपत्र के अनुच्छेदों के अवलोकन से यह प्राइम फेसी स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता (ए-3) ने जानबूझकर आतंकवादी संगठन सीपीआइ(माओवादी) के साथ संबंध स्थापित किया है और उसने स्वेच्छा से उक्त संगठन की सहायता की है। इसके अलावा, उसने आतंकवादी संगठन सीपीआइ (माओवादी) को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया, इसके कैडरों के साथ बैठक में भाग लिया और सोनू सिंह (ए-5) और अन्य से आतंकवादी संगठन सीपीआइ (माओवादी) के लिए धन एकत्र किया या प्राप्त किया, यह जानते हुए कि ऐसे धन का उपयोग आतंकवाद के लिए किया जाएगा।

47. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सीपीआई मैंडेट से जुड़ा हुआ था और सक्रिय रूप से भाग ले रहा था और प्रतिबंधित संगठन की सहायता कर रहा था। हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अरूप भुइयां बनाम असम राज्य और ए. एन. आर. ने **(2023) 8** एस. सी. सी. **745** के मामले में फैसला सुनाया कि प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना भी यूए (पी) अधिनियम के तहत अपराध है।

48. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिरक्षा का आधार लिया है और भारत संघ बनाम के. ए. नजीब (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सहायता भी ली है।

49. उपरोक्त निर्णय की सहायता से यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामले में कई गवाह हैं लेकिन अभी तक परीक्षण शुरू नहीं हुआ है, इसलिए हिरासत की अवधि और परीक्षण में संभावित देरी को ध्यान में रखते हुए, यह एक उचित मामला है जहां अपीलकर्ता को न्यायिक हिरासत से रिहा किया जाना चाहिए।

50. वहीं, दूसरी ओर, श्री अमित कुमार दास, जो उत्तरदाता-एन.आई.ए. के लिए उपस्थित अधिवक्ता हैं, ने उपरोक्त तथ्य को गंभीरता से विवादित किया है, इसके अलावा यह कि वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ कुल दो आपराधिक मामले लंबित हैं और उसकी संलिप्तता सीधे सीपीआइ माओवादी के चार सहयोगियों के साथ अपराध के आयोग में है।

51. यह दलील दी गई है कि अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय, अर्थात्, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केका निर्णय स्वीकार करने के लिए उपयुक्त (उपर्युक्त) नजीब .ए. नहीं है, कारण यह है कि उस मामले में, उत्तरदाताआरोपी जिसकी जमानत उच्च न्यायालय /

द्वारा स्वीकृत की गई थी और जमानत देने वाले आदेश के खिलाफ, यूनियन ऑफ इंडिया ने अपील की थी, उसके पास कोई आपराधिक पूर्ववृत्ति नहीं थी और उस मामले में अपराध की प्रकृति भिन्न थी।

52. उपरोक्त विपक्षी दलीलों के संदर्भ में, इस न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के.ए. नजीब (उपर्युक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलोकन किया है। उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जब उक्त मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एनआइए द्वारा गवाहों की संख्या को कम करने के लिए एक सटीक प्रश्न रखा और जब यह दिखाया गया कि ऐसा करना संभव नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि निकट भविष्य में परीक्षण की कोई संभावना नहीं है, उत्तरदाता-आरोपी को जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।

53. लेकिन यहाँ वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता की आपराधिक पूर्ववृत्तियाँ हैं और वह नक्सली संगठन को सीधे सहायता देकर निकट सहयोगी है। इसके अलावा, निर्देश पर, उत्तरदाता- .ए.आई.के लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि एन .ए.आई.एन स्थिति के आधार पर गवाहों की संख्या को भी कम करेगा और बिना किसी अनावश्यकदेरी के परीक्षण को समाप्त करने का प्रयास करेगा।

54. इसके अलावा, रिकॉर्ड पर यह आया है कि अपीलकर्ता के पास आपराधिक पूर्ववृत्त हैं और इस प्रकार, यह दलील दी गई है कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करना परीक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। वह स्वतंत्र गवाहों को प्रभावित कर सकता है और इस मामले के साक्ष्य को नष्ट कर सकता है और इस प्रकार, इस मामले के निष्पक्ष परीक्षण और न्याय के उद्देश्यों के लिए उसकी न्यायिक हिरासत की आवश्यकता है।

55. यह न्यायालय, उपरोक्त संदर्भित तथ्यों पर विचार करने के बाद और अपीलकर्ता के खिलाफ की गई जांच के आधार पर, जहाँ से यह स्पष्ट होता है कि वह नक्सली संगठन के साथ सक्रिय संबंध में है, अपने भाई, आरोपी संख्या 4 को लेवी के माध्यम से एकत्रित की गई धनराशि में सहायता प्रदान की है और अपीलकर्ता के पास इसी प्रकार का आपराधिक पूर्ववृत्ति है, इसलिए यह विचार करता है कि अपीलकर्ता का मामला न्यायिक हिरासत से रिहाई के लिए विचार करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

56. जहाँ तक यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केके निर्णय पर निर्भरता की (उपर्युक्त) नजीब .ए. दलील का संबंध है, इस न्यायालय का मानना है कि तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार, उपरोक्त निर्णय यहाँ लागू नहीं होगा, क्योंकि उस मामले में कुल 276 आरोपपत्रित गवाहों का परीक्षण किया जाना था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूछे गए सटीक प्रश्न पर, एनने यह प्रस्तुत किया कि आरोपपत्रित गवाहों की संख्या कम करने का कोई प्रश्न .ए.आई. नहीं है। इस दृष्टिकोण से औरहिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए, अर्थात्, 5 साल और 6 महीने से अधिक और संविधान के अनुच्छेद 21 की भावना को भी ध्यान में रखते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तरदाताआरोपी को दी गई जमानत के आदेश में हस्तक्षेप - नहीं किया।

57. जबकि, वर्तमान मामले का तथ्य यह है कि गवाहों की संख्या बहुत कम है और एनके लिए उपस्थित अधिवक्ता द्वारा .ए.आई., निर्देश पर यह भी प्रस्तुत किया गया है कि परीक्षण के दौरान, स्थिति के आधार पर आरोपपत्रित गवाहों की संख्या को भी कम किया जा सकता है।

58. इसके अलावा, अपीलकर्ता एक प्रतिबंधित संगठन का सक्रिय सदस्य है और उपरोक्त चर्चा

के अनुसार, उसकी प्रतिबंधित संगठन की गतिविधियों में सीधी संलिप्तता है। आरोपपत्र में यह भी उल्लेखित है कि अपीलकर्ता के खिलाफ इसी प्रकार के दो आपराधिक पूर्ववृत्त भी लंबित हैं।

59. यह न्यायालय, वर्तमान मामले में उपरोक्त विशिष्ट तथ्यों पर विचार करते हुए और अपीलकर्ता की प्रतिबंधित संगठन के सीधे सहयोगी के रूप में चरमपंथी गतिविधियों में सक्रिय संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए, इस विचार पर है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूनियन ऑफ इंडिया बनाम केके मामले में दिया गया निर्णय लागू (उपर्युक्त) नजीब .ए. करने के लिए उपयुक्त नहीं है।

60. अतः, इस न्यायालय ने उपरोक्त संदर्भित तथ्यों के आधार पर और अधिनियम, 1967 की धारा 43D (5) के प्रावधान के साथ-साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज़हूर अहमद शाह वताली (उपर्युक्त) के मामले में दिए गए निर्णय को ध्यान में रखते हुए, इस विचार पर है कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप को प्रथम दृष्ट्या असत्य नहीं कहा जा सकता है।

61. उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, हमें 13.02.2023 को एजेसी-XVI-सह-विशेष जज, एनआईए, रांची द्वारा पारित अपीलकर्ता की जमानत आवेदन को अस्वीकार करने वाले विविध आपराधिक आवेदन संख्या 183 के आदेश में कोई अवैधता नहीं मिलती है और इस प्रकार, अपीलित आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

62. परिणामस्वरूप, हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यतानहीं मिलती, इसलिए इसे इसी प्रकार खारिज किया जाता है।

63.लंबित अंतरिम आवेदन (यदि कोई हो) भी खारिज किया जाता है।

64. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई कोई भी टिप्पणी विचारण के दौरान अपीलार्थी के मामले में प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी और जैसा कि इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण केवल तत्काल अपील तक ही सीमित है।

माननीय न्यायधीश श्री सुजीत नारायण प्रसाद
माननीय न्यायधीश श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

रोहित/ एएफआर

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|